

निगरानी प्रकरण क्र. : 3039/II 2013

प्रस्तुति दिनांक : 24/07/2013

**श्रीमान राजस्व मंडल, ग्वालियर मध्यप्रदेश ग्वालियर
के समक्ष**

नरेश कुमार पिता श्री बसंत कुमार तिवारी,
निवासी-26, धारेश्वर रोड,
धार (म.प्र.)

.....प्रार्थी

विरुद्ध

1. श्रीमती कृष्णा शर्मा पति श्री महेन्द्र कुमार शर्मा
निवासी-15-डी, सिल्वर हिल कॉलोनी,
धार (म.प्र.)
2. गेंदालाल पिता श्री चुन्नीलाल मृतक तर्फे वारिस
(अ) प्रकाश पिता गेंदालाल
निवासी-पिपली बाजार, जिला धार (म.प्र.)
3. मंजु पिता श्री परमानंददास मोदी
4. राजेन्द्र (राजु) पिता श्री परमानंददास मोदी
क्र. 3 व 4 निवासी-वनियावाडी, धार (म.प्र.)
5. संजय कुमार पिता श्री विमलचन्द
निवासी-111, जवाहर मार्ग, धार (म.प्र.)
6. प्रकाश पिता श्री मांगीलाल
निवासी-44, सिल्वर हिल्स, धार (म.प्र.)
7. डॉ. अनिल पिता श्री कवरूमल गंगवाल
निवासी-गंगवाल हास्पिटल, जवाहर मार्ग, धार (म.प्र.)
8. कमलेश पिता श्री हीराचन्द जैन
9. सचिन पिता श्री हीराचन्द जैन
क्र. 8 व 9 निवासी-सोमानी नगर, एम.पी. पब्लिक
स्कूल के सामने, इन्दौर (म.प्र.)

.....प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भु-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, धार के द्वारा राजस्व
अपील प्रकरण क्रमांक 21/अपील/2011-12 में दिनांक
21/05/2013 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी
निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :-



II प्रकरण के तथ्य II

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मत्तलबपुरा
तहसील धार में सर्वे क्रमांक 106 रकबा 6.930 हेक्टर की कृषि
भूमि फर्म महावीर जिनिंग प्रोसेसिंग फैक्ट्री के स्वामित्व की होकर

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3039-दो/2013 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	<p>आवेदकपक्ष की ओर से श्री योगेश वर्मा, अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p> A. U. R.</p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	